सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 26, गुरूवार, शाके 1944-जून 16, 2022 *Jyaistha 26, Thursday , Saka 1944- June 16, 2022*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-3

अधिसूचना

जयपुर, जून 15, 2022

जी.एस.आर.47 :-राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम सं. 9) की धारा 21 के साथ पठित धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, लोकायुक्त के परामर्श से, राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय लिपिकवर्गीय सेवा (सेवा की शर्तें) नियम, 2013 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय लिपिकवर्गीय सेवा (सेवा की शर्तें) (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. नियम 4 का संशोधन.- राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय लिपिकवर्गीय सेवा (सेवा की शर्तें) नियम, 2013, जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के अधीन नियम 4 के उप-नियम (1) के शीर्ष ग्रुप-क में,-

(I) विद्यमान अभिव्यक्ति "वरिष्ठ लिपिक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "लिपिक ग्रेड-I" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(II) विद्यमान अभिव्यक्ति "कनिष्ठ लिपिक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "लिपिकी ग्रेड-II" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. नियम 7 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 7 में,-

(I) उप-नियम (1) के खण्ड (क) में विद्यमान अभिव्यक्ति "कनिष्ठ लिपिक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "लिपिक ग्रेड-II" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(II) उप-नियम (1) में विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु लिपिक ग्रेड-II के कुल पदों में से 15 प्रतिशत पद लोकायुक्त सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।": और

(III) उप नियम (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "कनिष्ठ लिपिक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "लिपिक ग्रेड-II" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. नियम 10 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 10 के उप-नियम (1) में,-

(i) खण्ड (क) में विद्यमान अभिव्यक्ति "वरिष्ठ लिपिक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "लिपिक ग्रेड-।" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) विद्यमान खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ख)" लिपिक ग्रेड-। के पद के लिए, सेवा में के ऐसे लिपिक ग्रेड-।। पात्र होंगे जिन्होंने पद पर, स्नातक के मामलें में तीन वर्ष की सेवा या अन्यों के मामलें में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है और जो पदोन्नति के लिए अन्यथा उपयुक्त हैं।";

(iii) खण्ड (ग) में विद्यमान अभिव्यक्ति "कनिष्ठ लिपिक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "लिपिक ग्रेड-।।" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iv) खण्ड (ग) के विद्यमान उप-खण्ड(ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

(v) "(ख) जो निम्नलिखित धारित करते हैं-

(i) इलैक्ट्रोनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन डीओईएसीसी द्वारा संचालित "ओ" या उच्चतर लेवल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम; या

(ii) एनआईईएलआईटी, नई दिल्ली द्वारा कम्प्यूटर संकल्पना में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम; या

(iii) व्यावसायिक प्रशिक्षण स्क्रीम की राष्ट्रीय/ राज्य परिषद् के अधीन आयोजित कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक (क.ऑ.प्रो.स.)/ डाटा प्रेपरेशन और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर (डा.प्रे.क.सो.) प्रमाणपत्र; या

(iv) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र; या

(v) देश में के किसी मान्यताप्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी प्रमाणपत्र जिसके विषयों में से एक कम्प्यूटर विज्ञान/ कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन हो; या

(vi) सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी में डिप्लोमा; या

(vii) वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा संचालित, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणाधीन सूचना प्रौद्योगिकी में राजस्थान राज्य प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (रा.रा.सू.प्रौ.प्र.पा); या

(viii) सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई समतुल्य या उच्चतर अर्हता।

स्पष्टीकरण: किसी अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कम्प्यूटर की अर्हता या उच्चतर अर्हता के संबंध में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।"

5. नये नियम 11क का अंत: स्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 11 के पश्चात और विद्यमान नियम 12 के पूर्व निम्नलिखित नया नियम 11क अंत: स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"11क. नियमों के शिथिलीकरण की शक्ति.- आपवादिक मामलों में जहां लोकायुक्त का यह समाधान हो जाये कि भर्ती के लिए आयु के बारे में या अनुभव की आवश्यकता के संबंध में किसी विशिष्ट मामले में नियमों के प्रवर्तन से अनावश्यक कठिनाई होती है या जहां लोकायुक्त की यह राय हो कि किसी व्यक्ति की आयु या

अनुभव के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को शिथिल करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह आदेश द्वारा इन नियमों के सुसंगत उपबंधो को, ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो किसी मामले को न्यायोचित एवं साम्यापूर्ण रीति से निपटाने के लिए आवश्यक माने जायें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकेगा :

परन्तु,-

(I) ऐसा शिथिलीकरण इन नियमों में पूर्व में अन्तर्विष्ट उपबंधों से कम अनुकूल नहीं होगा।

(II) इस नियम के अधीन विहित सेवा या अनुभव की कालावधि में शिथिलीकरण विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने से पूर्व किसी पद पर पदोन्नति के लिए विहित सेवा या अनुभव की केवल एक तिहाई कालावधि की सीमा तक ही मंजूर किया जायेगा।"

[सख्या एफ.6 (7)डीओपी/ए-III/2013]
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
डॉ0 प्रिया बलराम शर्मा,
शासन उप सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
A-Gr.-III
NOTIFICATION
Jaipur, June 15, 2022

G.S.R.47 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 read with section 21 of the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1973 (Act No. 9 of 1973), the Governor of Rajasthan, in consultation with the Lokayukta, hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Lokayukta Sachivalaya Ministerial Service (Conditions of Service) Rules, 2013, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Lokayukta Sachivalaya Ministerial Service (Conditions of Service) (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 4.- In sub-rule (1) of rule 4 of the Rajasthan Lokayukta Sachivalaya Ministerial Service (Conditions of Service) Rules, 2013, hereinafter referred to as the said rules, under head GROUP-A,-

(i) for the existing expression " Upper Division Clerk", the expression "Clerk Grade-I" shall be substituted; and

(ii) for the existing expression "Lower Division Clerk", the expression "Clerk Grade-II" shall be substituted;

3. Amendment of rule 7.- In rule 7 of the said rules,-

(i) in clause (a) of sub-rule (1), for the existing expression "Lower Division Clerk", the expression "Clerk Grade-II" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (1), the existing proviso shall be substituted by the following, namely:-

"Provided that out of the total posts of Clerk Grade-II, 15% posts shall be filled by promotion from Class IV employees of the Lokayukta Sachivalaya.": and

(iii) in sub-rule (2), for the existing expression "Lower Division Clerk", the expression "Clerk Grade-II" shall be substituted.

4. Amendment of rule 10.- In sub-rule (1) of rule 10 of the said rules,-

(i) in clause (a), for the existing expression "Upper Division Clerks", the expression "Clerk Grade-I" shall be substituted;

(ii) the existing clause (b) shall be substituted by the following, namely:-

"(b) for the post of Clerk Grade-I, such of the Clerk Grade-II in the service shall be eligible who have completed three years service in case of a Graduate or five years service in case of others on the post and are otherwise fit for promotion.";

(iii) in clause (c), for the existing expression "Lower Division Clerk", the expression "Clerk Grade-II" shall be substituted; and

(iv) the existing sub-clause (b) of clause (c) shall be substituted by the following, namely:-

"(b) hold -

(i) "O" or Higher Level Certificate Course conducted by DOEACC under control of the Department of Electronics, Government of India; or

(ii) Certificate course in Computer concept by NIELIT, New Delhi; or

(iii) Computer Operator & Programming Assistant (COPA)/Data Preparation and Computer Software (DPCS) certificate organized under National/State Council of Vocational Training Scheme; or

(iv) Degree/Diploma/Certificate in Computer Science / Computer Applications from a University established by law in India or from an institution recognized by the Government; or

(v) Senior Secondary Certificate from a recognized Board of Secondary Education in the Country, with computer Science/Computer Applications as one of the subjects; or

(vi) Diploma in Computer Science & Engineering from a polytechnic institution recognized by the Government; or

(vii) Rajasthan State Certificate Course in Information Technology (RSCIT) conducted by Vardhaman Mahaveer Open University, Kota under control of Rajasthan Knowledge Corporation Limited; or

(viii) Any equivalent or higher qualification recognized by the Government.

Explanation: The decision of the Rajasthan Staff Selection Board or the Appointing Authority, as the case may be, regarding the qualification or higher qualification of computer possessed by a candidate shall be final.";

5. Insertion of new rule 11A.- After the existing rule 11 and before the existing rule 12 of the said rules, the following new rule 11A shall be inserted, namely:-

"11A. Power to relax the rules.- In exceptional cases where the Lokayukta is satisfied that operation of the rules relating to age or regarding requirement of experience for recruitment causes undue hardship in any particular case or where the Lokayukta is of the opinion that it is necessary or expedient to relax any of the provisions of these rules with respect to age or experience of any person, he may by order dispense with or relax the relevant provisions of these rules to such extent and subject to such conditions as he may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner:

Provided that,-

(i) such relaxation shall not be less favorable than the provisions already contained in these rules.

(ii) relaxation in the prescribed period of service or experience under this rule shall only be granted to the extent of 1/3 period of the service or experience prescribed for promotion to any post before holding the meeting of the Departmental Promotion Committee."

[No. F. 6(7)DOP/A-III/2013]
By order and in the name of Governor,
DR. PRIYA BALRAM SHARMA,
DEPUTY SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.